21.0 सुरक्षा प्रबंधन :

सुरक्षा विभाग का ध्येय कंपनी के लोगों और सामग्री को संरक्षित करना है। कंपनी के पास सुरक्षा गठन के चार प्रकार है :

1.ईसीएल सुरक्षा	- 2342 कर्मी .
2.कें.औ.सु.ब.	- 924 कर्मी .
3.संविदात्मक सुरक्षा	- 1431 कर्मी .
4.होमगार्ड	- 190 कर्मी .

21.1 विभागीय सुरक्षा :

विभागीय सुरक्षा का प्राथमिक कर्तव्य कंपनी की संपत्ति अर्थात स्टोर, कार्यालय, विस्फोटक पत्रिकाएं, कोयला डिपो/साइडिंग, कालोनियों और प्रबंधन द्वारा आवश्यक होने पर वीआईपी के अनुरक्षण की रक्षा करना है। लोडेड रेलवे रेक, टिपिंग ट्रक/डम्पर को कोल डिपो/साइडिंग से रेलवे तौल पुलों तक तौल होने तक एस्कॉर्ट करना। साथ ही स्थानीय पुलिस के साथ सुरक्षा कर्मियों, सीआईएसएफ द्वारा दी गई सूचना और खुफिया इनपुट के अनुसार छापेमारी करें, इसमें शामिल ट्रकों / वाहनों और बदमाशों को पकड़ने के लिए कोयले की जब्ती करें। ऐसे व्यक्तियों को स्थानीय पुलिस को सौंपें और प्राथमिकी दर्ज करें। उन्हें हड़ताल/घेराव/ प्रदर्शन/भूख हड़ताल के समय और कमांड क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की समस्या के दौरान भी तैनात किया जाता है।

21.2 संविदात्मक सुरक्षा :

सुरक्षा व्यवस्थाओं के संवर्धन के लिए विभागीय सुरक्षा के साथ संविदात्मक सुरक्षा कर्मियों को अभिनियोजित किया जाता था।

21.3 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (के.औ.सु.ब.) :

राजमहल, सोनपुर बजारी, एस.पी. माइंस में स्थायी दायित्व के लिए के.औ.सु.ब. अभिनियोजित किया गया है। इसके अलावे मुगमा, सलानपुर, श्रीपुर, कुनुस्तोड़िया, पांडवेश्वर, कालीदासपुर और सतग्राम क्षेत्र में उनके शिविर हैं। वे अवैध खनन, कोयले की अवैध तस्करी और अवैध कोयला डिपो के विरूद्ध छापेमारी करने के लिए मोबाइल ड्यूटी पर रहते हैं तथा कोलियरी/ क्षेत्र में हड़ताल/ घेराव के दौरान भी अभिनियोजित किए जाते हैं।

21.4 होमगार्ड :

विभागीय सुरक्षा के साथ-साथ होम गार्डों को अभिनियोजित किए जाते थें।

21.5 ईसीएल में सुरक्षा के पुनर्निर्माण हेतु परिगृहीत कदम :

क. सीआईएसएफ की भावी अभिनियोजन के लिए पुन:सर्वेक्षण प्रक्रियाधीन है।

ख. रेलवे पार्श्वस्थल पर सीसीटीवी और अन्य मशीनें जैसे आरएफआईडी और बूम रोधनाका के संस्थापन के लिए अभिकरणों से संपर्क किया गया है।

ग. ईसीएल में बायो-मैट्रिक उपस्थिति प्रणाली संस्थापित किया गया है।

घ. स्थानीय पुलिस थानों से अभिगृहीत कोयले के संग्रहण के लिए एक क्रियाविधि सुनियोजित की गई है। ईसीएल ने विभिन्न पुलिस थानों से अभिगृहीत कोयले प्राप्ति की है।

ङ. के.औ.सु.ब. के सहयोग से 664 नवचयनित सुरक्षा कर्मियों के प्रवेशन के लिए दो चरणों में प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

21.6 अवैध खनन/ कोयले का परिवहन / कोयले की चोरी के जाँच पड़ताल / रोकथाम के लिए परिगृहीत कदम :

क. आसूचना संग्रहण।

ख. ट्रकों जो उनके खदानों से वैध कोयला ले रहा है, के लिए विक्रय विभाग को होलोग्राम निर्गत करना। यह बर्दवान (पूर्व) और बर्दवान (पश्चिम) जिलों की स्थानीय पुलिस को भी प्रज्ञापित किया जाता है और किसी ऐसे ट्रक के मामले में जिसमें ईसीएल का होलोग्राम या ईसीएल का संदिग्ध होलोग्राम ईसीएल सुरक्षा/स्थानीय पुलिस द्वारा जांचा गया है, उनके विरूद्ध आवश्यक विभागीय/विधिक कार्यवाहियाँ आरंभ की जाती है।

ग. कोयला परिवहन का जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन लक्ष्यानुसरण प्रणाली प्रयोग में है।

घ. कोयला खान शीर्ष, कोयले की ढेर, कोयला स्थलों के तोलन वेदी, परिवहन के प्रवेश और निकास केंद्र पर सीसीटीवी का संस्थापन।

ङ. वीटीएस से जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक तोलन वेदी और चलायमान तोलन वेदी का संस्थापन।

च. कोयला परिवहन मार्ग पर कुछ सशंकित स्थलों की पहचान की गई है जहां ईसीएल सुरक्षा, के.औ.सु.ब. और स्थानीय पुलिस द्वारा नियमित गश्ती की जाती है।

छ. खनन प्रहरी अनुप्रयोग व्यवहृत की जा रही है।

श्री संजय कुमार साहू, महाप्रबंधक (बांकोला), ईसीएल को 1 नवंबर, 2021 को
'ईसीएल का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र जीएम पुरस्कार' सम्मानित किया गया।

श्री रामबाबू पाठक, कंपनी सचिव, ईसीएल को 1 नवंबर, 2021 को
'ईसीएल का सर्वश्रेष्ठ एचओडी पुरस्कार' सम्मानित किया गया।

ज .पुलिस के साथ-साथ के.औ.सु.ब. एवं विभागीय सुरक्षा कर्मी द्वारा औचक जांच/छापा किया गया है और अवैध कोयले का अभिग्रहण / अंतर्ग्रस्त वाहनों के साथ-साथ कोयले की अवैध तस्करी एवं बदमाशों की गिरफ्तारी और तत्पश्चात उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन को सौंपना।

झ. अवैध खनन व कोयला चोरी नियंत्रण के लिए पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य प्राधिकरणों के साथ बैठक और जिला प्राधिकरणों के साथ जिला स्तरीय बैठक (पश्चिम बंगाल के बर्द्धवान, बांकुड़ा, पुरुलिया और बीरभूम और झारखंड का संयुक्त जिला स्तरीय बैठक) करना।

ञ .कोयला चोरी के मुद्दों में धर-पकड़ करने के लिए एक समर्पित कृतिक बल का गठन किया गया है।

ट . के.औ.सु.ब. अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय महाप्रबंधक, क्षेत्रीय सर्वेक्षण अधिकारी, क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी से बने क्षेत्रीय दल द्वारा प्रभावित स्थलों का बारम्बार निरीक्षण किया जाता है और तदनुसार नियमित रूप से के.औ.सु.ब. के समादेष्टा कार्यालय में बैठकें आयोजित की जाती हैं।

ठ .न्यायालय में लंबित उन मामलातों के तार्किक निष्कर्ष के लिए, ईसीएल ने उन मामलातों के अनुसरण करने के लिए अधिवक्ता को नियुक्त किया है।

ड .आसनसोल की निचली अदालत और सत्र न्यायालय में लंबित मामलातों की त्वरित सुनवाई के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए भी लोक अभियोजक के साथ परिचर्चा की गई है।

ढ .विभागीय सुरक्षा कर्मी ने कोयले की चोरी को रोकने के लिए के.औ.सु.ब. कर्मियों/निजी सुरक्षा कर्मी के साथ औचक जांच पड़ताल/ छापेमारी की। जांच पड़ताल/छापे के दौरान, उन्होंने कोयले का अभिग्रहण किया, बदमाशों को गिरफ्तार किया और स्थानीय पुलिस थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई।

21.7 कोयले की चोरी के रोकथाम के लिए प्रौद्योगिकी मध्यक्षेप :

क. शिकायतकर्ता की पहचान को गुप्त रखते हुए अवैध खनन की किसी भी घटना की रिपोर्ट करने के निहितार्थ आमजनों की सुगम्यता के लिए खनन प्रहरी अनुप्रयोग का लोकार्पण किया गया है।

ख .समस्त क्षेत्रों में प्रवर्तित जीपीएस आधारित वाहन अनुश्रवण प्रणाली कोयले की चोरी को रोकने के लिए एक कदम है।

ग . निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए प्रत्येक रेलवे पर्श्वस्थल एवं अन्य संवेदनशील अवस्थानों पर सीसीटीवी कैमरों का स्थापन किए गए हैं।

घ . वाहन का जीवंत लक्ष्यानुसरण के लिए कोयला परिवहन वाहन में वीटीएमएस प्रणाली समर्थ जीपीएस लगाया गया है।

21.8 वर्ष के दौरान विभागीय सुरक्षा कर्मियों, के.औ.सु.ब. एवं स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध खनित कोयले के अभिग्रहण का विवरण:

वर्ष	राज्य	छापों की संख्या	अभिगृहीत कोयला (टन)	अभिगृहीत वाहन	गिरफ्तार व्यक्ति	प्राथमिकी दर्ज
अवैध तस्करी से कोयले का अभिग्रहण						
2021-22	पश्चिम बंगाल	2124	9840.32	66	58	667
	झारखण्ड	851	5245.72	19	14	77
	कुल	2975	15086.04	85	72	744
2020-21	कुल	1933	14553.99	59	26	461
	अंतर	1042	532.05	26	46	283
ईसीएल सुरक्षा कर्मी, के.औ.सु.ब. एवं स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध खनित कोयले का अभिग्रहण						
2021-22	पश्चिम बंगाल	132	13. 19	-	-	36
	झारखण्ड	66	123.42	01	03	31
	कुल	198	136.6 1	01	03	67
2020-21	कुल	254	789.64	01	03	246
	अंतर	-56	-653.03	-	-	-179

उपरि वर्णित आँकड़े, कोलियरी परिसर के बाहर, पुलिस के साथ-साथ के.औ.सु.ब. एवं ईसीएल सुरक्षा कर्मी द्वारा अभिगृहीत है। ट्रकें या तो अवैध खनन स्थलों से या अवैध तस्करी/अवैध कोयला स्टॉक से उक्त कोयला ले जा रहे थे। अवैध खनन स्थलों को बंद करने/सीलबंद करने/भरने के दौरान के.औ.सु.ब. और स्थानीय पुलिस के साथ ईसीएल सुरक्षा कर्मी को पट्टाधृति क्षेत्र के अंदर और बाहर बंद करने के स्थान पर भी अभिनियोजन किया जाता है। वर्ष के दौरान, अवैध कोयला खनन एवं कोयले के मूषण के खतरों को रोकने के लिए 1310 स्थानों को बंद/सीलबंद किया गया है। राज्य प्रशासन अवैध कोयला खनन एवं कोयले के मूषण के खतरों को रोकने के लिए सक्रिय रूप से अंतर्ग्रस्त है।

ईसीएल में सुरक्षा गार्डों का अभिनंदन

अवैध खनन स्थलों को बंद करने/सीलबंद करने/भरने के दौरान के.औ.सु.ब. एवं स्थानीय पुलिस के साथ-साथ ईसीएल सुरक्षा कर्मियों को पट्टाधृति क्षेत्रों के अंदर एवं बाहर बंद करने वाले स्थान पर भी अभिनियोजित किया जाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान, अवैध कोयला खनन को रोकने के लिए ₹0.31 लाख के व्यय पर पश्चिम बंगाल में 878 स्थलों एवं झारखण्ड में 432 स्थलों में 881.34 लाख घनमीटर कोयला बंद/सीलबंद किया गया है और पश्चिम बंगाल व झारखण्ड के स्थानीय पुलिस स्टेशन को क्रमशः 44 स्थलों एवं 38 स्थलों के लिए अवैध कोयला खनन बंद करने/सीलबंद करने/भरने की सूचनाएँ प्रेषित किए गए हैं। राज्य प्रशासन अवैध कोयला खनन एवं कोयले के मूषण के खतरों को रोकने के लिए सक्रिय रूप से अंतर्ग्रस्त है।

21.9 अवैध कोयला तस्करी का अभिग्रहण :

वर्ष	2021-22	2020-21	अंतर
छापों की संख्या	2975	1933	1042
प्राथमिकी दर्ज की संख्या	744	461	283
अभिगृहीत कोयला परिमाण (मैट्रिक टन)	15086.04	14553.99	532.05
अभिगृहीत वाहन की संख्या	85	59	26
गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	72	26	46

21.10 अवैध खनन स्थलों से अभिग्रहण :

वर्ष	2021-22	2020-21	अंतर
छापों की संख्या	198	254	-56
प्राथमिकी दर्ज की संख्या	67	246	-179
अभिगृहीत कोयला परिमाण (मैट्रिक टन)	136.61	789.64	-653.03
अभिगृहीत वाहन की संख्या	01	01	-
गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	03	03	-

21.11 अन्य सामग्रियों की चोरी/प्रत्युद्धरण :

वर्ष	2021-22	2020-21	अंतर
घटनाओं की संख्या	120	123	-03
प्राथमिकी दर्ज / सूचनाओं की संख्या	82	83	-01
चोरी की गई संपत्ति (₹ में)	35,59,123.00	37,25,180.77	-1,66,057.77
प्रत्युद्धरित संपत्ति (₹ में)	2,10,000.00	5,500.00	2,04,500.00
गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	06	05	01